



Neutral Citation Number- 2026:AHC:56816

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या-8405/2026

विपिन

.....आवेदक/आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी/विपक्षीगण

आवेदक/आवेदकगण के अधिवक्ता : हिमांशी नौसरान, राजीव कुमार सैनी

विपक्षी/विपक्षीगण के अधिवक्ता : जी.ए.

न्याय कक्ष संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव कुमार सैनी और सुश्री हिमांशी नौसरान, तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री राम कुमार वर्मा को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



2. यह तत्काल जमानत आवेदन, वाद अपराध संख्या-13/2025 (धारा 316(5), 318(4), 351(3), 61(1)(बी) बी.एन.एस. के तहत; पुलिस थाना-छपार, ज़िला-शामली में, मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि एफ.आई.आर. में लगाए गए आरोपों के अनुसार, आवेदक अलग-अलग महिलाओं से किशतें इकट्ठा करता था - जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य थीं - और उन्हें सह-आरोपी खजांची नीतू के पास जमा कर देता था। नीतू पैसे मिलने की रसीद तो जारी कर देती थी, लेकिन बैंक खाते में जमा करने के बजाय पैसे अपने पास ही रख लेती थी। आगे यह भी कहा गया है कि एफ.आई.आर. में लगाए गए इस आरोप के समर्थन में किसी भी महिला का बयान दर्ज नहीं किया गया है कि उन्होंने आवेदक को कोई पैसा दिया था। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि सभी रसीदें जाली हैं और वर्तमान प्रबंधक ने आवेदक को झूठे केस में फंसाने के लिए उन्हें तैयार किया है। आगे यह भी बताया गया है कि आवेदक ने साथ में दिए गए हलफनामे में अपने एक आपराधिक मामले के इतिहास के बारे में जानकारी दी है। इसके अलावा, यह भी कहा गया है कि इस मामले में आरोपपत्र दाखिल की जा चुकी है, इसलिए हिरासत में लेकर पूछताछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह दिनांक 31.12.2025 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में पूरा सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत आवेदन का जोरदार विरोध किया, लेकिन वे इस बात से इनकार नहीं कर सके कि पीड़ित महिलाओं में से कोई भी अभियोजन पक्ष की कहानी का समर्थन करने के लिए आगे नहीं आई है; और इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि जमा की गई राशि खजांची नीतू के पास जमा कर दी गई थी, जिसने उसकी रसीद जारी की थी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों, तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए; साथ ही जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने को दृष्टिगत रखते हुए; और **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस.सी. 3038)** मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधिदेश पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक **विपिन** को, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, एक निजी मुचलका और उतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने पर, निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:—

- i. आवेदक सीधे या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई लालच, धमकी या वादा नहीं करेगा, जिससे वह अदालत या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्य बताने से रोक सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर सके।
- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, पूरी ईमानदारी से विचारण/जांच में सहयोग करेगा।
- iii. जमानत पर रिहा होने के बाद, आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा और न ही कोई अपराध करेगा।
- iv. आवेदक को उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह ज़मानत रद्द करने का आधार होगा।
8. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व, संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक तथा ज़ामिनों की पहचान, हैसियत और निवास के प्रमाणों का सत्यापन किया जाएगा।
9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इस आदेश की कंप्यूटर-जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया गया हो और संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस वचन के साथ सत्यापित किया गया हो कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
10. आगे यह भी निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय, आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए, 'ज़मानत आदेश प्रबंध प्रणाली' (बी.ओ.एम.एस.) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।
11. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह 'पॉलिसी स्ट्रेटेजी फॉर ग्रांट ऑफ़ बेल' मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जो कि 'इन रे: सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4, 2021' के तहत दिनांक 31.01.2023 को तय किया गया था और (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में रिपोर्ट किया गया है—इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदक को भेजे।

(माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

19 मार्च, 2026

एस.सी.

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"